Jansatta, New Delhi
21st January 2016
Page No: 3, Cols. 1-2

शाहरुख-सलमान मामले में सुनवाई 22 को

बिग बॉस में मंदिर के सेट पर जूते पहन कर जाने का आरोप

नई दिल्ली, 20 जनवरी (जनसत्ता)। दिल्ली की एक अदालत शुक्रवार को अभिनेता सलमान खान और शाहरुख खान के खिलाफ बिग बॉस नौ की शूटिंग के दौरान कथित रूप से एक मंदिर के सेट पर जूते पहने घुसकर भक्तों की भावनाएं कथित रूप से आहत करने के मामले में आपराधिक शिकायत सुनेगी। एक वकील ने शिकायत दायर करके अदालत से दोनों कलाकारों, कलर्स चैनल, रियलिटी शो के निर्देशक और निर्माता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए पुलिस को निर्देश देने का अनुरोध किया।
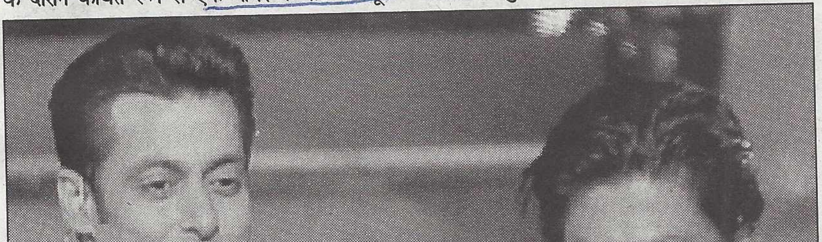
शिकायत में भादंसं की धाराओं 295 ए (धार्मिक भावनाएं उकसाने की मंशा से जानबूझकर एवं द्वेषपूर्ण कृत्य), 298 (धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाने की मंशा से शब्द कहना) और 34 (समान आशय) के तहत कथित अपराधों के लिए मामला दर्ज करने का निर्देश देने का अनुरोध किया। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट वीके गौतम 22 जनवरी को इस मामले में सुनवाई कर सकते हैं। वकील गौरव गुलाटी ने शिकायत में आरोप लगाया है कि एक वीडियो में बिग बॉस की शूटिंग के दौरान शाहरुख और सलमान को काली मां के मंदिर के सेट पर जूते पहनकर दिखाया गया है। जबकि मूर्ति पीछे दिखाई गई है। उन्होंने कहा कि वे अपनी शिकायत लेकर रूपनगर पुलिस थाने भी गए। लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नही की इसलिए उन्हें अदालत की शरण में आना पड़ा।